TP BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART II, SECTION 3, SUB- SECTION (ii) DATED

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

....

New Delhi, the 24th January, 1996.

CORRIGENDUM
~~NOTIFICATION~~
INCOME-TAX

S.O. (E) - In exercise of the powers conferred by Section 295 of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) bearing S.O. No. 460 (E) dated 23rd May, 1995 namely :-

'' Since the footnote appended to the rule, S.O. No. 70 (E) dated 31st January, 1995 is regarding Wealth-Tax, the same may not be gathered.''

Prabodh Seth
(DR. PRABODH SETH)
UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

F.NO. 142/19/95-TPL
Notification NO. 9948

भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में
दिनांक को प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धि-पत्र
~~अधिसूचना~~

नई दिल्ली, दिनांक 24 जनवरी, 96

आयकर

का0आ0 (अ)-आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना का0आ0सं0 460 (अ), दिनांक 23 मई, 1995 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :--

"धूमक नियम, का0आ0सं0 70 (अ), दिनांक 31 जनवरी, 1995 के साथ संलग्न पाद टिप्पणी अनकर के बारे में है, इसलिए उसे एकत्र न किया जाए"।

(डा0 प्रबोध सेठ)
अवर सचिव, भारत सरकार

फा0सं0 142/19/95-टी0पी0एल0
अधिसूचना सं0 9958